

परिपत्र /CIRCULAR

सं. हि०क०/२१८८/वार्षिक कार्यक्रम/२०१५-१६

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक

नं. १ स्टाफ रोड

सिकंदराबाद - ५०० ००९

दिनांक २४ .०४.२०१५

सेवा में/To

प्रभारी अधिकारी / The Officer I/c.

सभी आधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)

All Sub-offices (as per standard list)

विषय : केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु
वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के विवरण का प्रेषण।

Sub : Forwarding the Details of Official Language Targets
for the year 2015-16 for implementation of Official
Language Policy in Central Government Offices.

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, दिल्ला छावनी के आदेशों के अनुसार राजभाषा
विभाग, नई दिल्ली के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा
जारी वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण आपके कार्यालय में
अनुपालनार्थ इस परिपत्र के साथ अग्रेसित किया जाता है।

The Details of Official Language Targets prescribed in the Annual
Programme for Implementation of Official Language Policy for the year 2015-16 downloaded
from the website of OL Department, New Delhi as per the instructions received from the
office of CGDA , Delhi Cantt., Is forwarded herewith for compliance in your office.


(जी. जयसूर्यन नायर)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा)

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

Encls : As above

वार्षिक कार्यक्रम 2015-2016

मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं केन्द्रीय सरकार के निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु 2015-2016 के लिए निर्धारित लक्ष्य।

क्र.सं.	कार्य विवरण	क्षेत्र ग्रा।
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेवर्स, फैक्स, आलेख आदि सहित)	ग क्षेत्र से क्षेत्र को 55% ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% ग क्षेत्र से ग क्षेत्र का 55% ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/सा राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
3.	हिंदी में टिप्पणी	30%
4.	हिंदी टंकक, आशुलिपिक की भर्ती	40%
5.	हिंदी में डिवटेशन	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री हैयार करना,	100%
8.	हिंदी ई-बुक सहित हिंदी पुस्तकों आदि जर्नल और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर, की खरीद पर पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कुल अनुदान में से खर्च का प्रतिशत	50%
9.	कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)
11.	नागरिक घार्टर तथा जनसूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)
12.	(1) मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत) (2) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण (3) विदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रक के कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण	25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम) वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति वर्ष में (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें(न्यूनतम) वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
14.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिन्दी अनुवाद	100%
15.	मंत्रालय/विभाग के ऐसे अनुभाग जहाँ सारा कार्य हिंदी में हो	* 20% (न्यूनतम अनुभाग)

* यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पहले से निर्दिष्ट उन न्यूनतम 8 अनुभागों की संख्या में कोई कमी न आए जहाँ पर सारा काम हिंदी में ही किया जाना है।